भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. 235
21 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय : पीएमएफबीवाई के लिए बजटीय आवंटन में कटौती

***235. श्री एस.निरंजन रेड्डी:**

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि बजट 2025 में बजट 2024 की तुलना में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के लिए आवंटन में कटौती की गई है;

(ख) यदि हां, तो आर्थिक सर्वेक्षण, 2024 में यह स्वीकार किए जाने के बावजूद कि मौसम के अत्यधिक खराब हो जाने की घटनाओं के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है, इस कटौती के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, पर कम आवंटन के प्रभाव का आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा किसानों को जलवायु परिवर्तन और मौसम के अत्यधिक खराब हो जाने की घटनाओं के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए पीएमएफबीवाई, के अलावा अन्य क्या पहल की गई हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"पीएमएफबीवाई के लिए बजटीय आवंटन में कटौती" के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 21.03.2025 को उत्तरार्थ श्री एस.निरंजन रेड्डी द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 235 के भाग (क) से (घ) का उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): न रोके जाने वाले प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, देश में खरीफ 2016 सीजन से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्राप इश्योरेंस (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) आधारित फसल बीमा की शुरुआत की गई है। यह स्कीम राज्यों के साथ-साथ किसानों के लिए भी स्वैच्छिक है और देश भर के सभी किसानों के लिए उपलब्ध है।

भारत सरकार के कई हस्तक्षेपों के कारण, इस स्कीम के तहत बीमा कंपनियों द्वारा लगाए जाने वाली प्रीमियम दरों में काफी कमी की गई है और इसलिए भारत सरकार की प्रीमियम देनदारी कम हो गई है। वर्ष 2023-24 में प्रीमियम दर वर्ष 2020-21 में 15.9 % की तुलना में 10.8 % थी। यह ध्यान देने योग्य है कि संशोधित अनुमान (2024-25) को बजट अनुमान चरण (2024-25) में 14600 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़ाकर 15864 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 01.01.2025 को हुई अपनी बैठक में एनईआर मदों में 10% अनिवार्य आवंटन से छूट को मंजूरी दे दी है, जिसके कारण पिछले वर्षों में वापस की गई धनराशि गैर-एनईआर राज्यों के उपयोग के लिए उपलब्ध करा दी गई है, जिससे पिछली देनदारियों में काफी कमी आएगी। उपर्युक्त को देखते हुए, 01.01.2025 को आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए योजना के तहत 69,515.71 करोड़ रुपये के बढ़े हुए परिव्यय को भी मंजूरी दी है। इसलिए, अतिरिक्त आवंटन के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है।

(घ) : सरकार देश में जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के अंतर्गत आने वाले मिशनों में से एक है। इस मिशन का उद्देश्य भारतीय कृषि को बदलती जलवायु के प्रति अधिक अनुकूल बनाने के लिए कार्यनीतियों को क्रियान्वित करना है। कृषि क्षेत्र में प्रतिकूल जलवायु स्थितियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के तहत कई योजनाएं भी शुरू की गई हैं। प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) स्कीम सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों यानी ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाती है। वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी) योजना में एनएमएसए के एक घटक के रूप में कार्यान्वित की जाती है और उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु

परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) पर ध्यान दिया जाता है। मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता योजना मृदा स्वास्थ्य और इसकी उत्पादकता में सुधार के लिए जैविक खादों और जैव-उर्वरकों के साथ सहायक और सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देने में राज्यों की सहायता करती है। समेकित बागवानी विकास मिशन, कृषि वानिकी और राष्ट्रीय बांस मिशन में भी कृषि में जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा दिया जाता है।

भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने जलवायु अनुकूल कृषि में राष्ट्रीय नवाचार (एनआईसीआरए) नामक एक प्रमुख नेटवर्क परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का उद्देश्य फसलों, पशुधन, बागवानी और मत्स्य पालन सहित कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करना और कृषि में जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों को विकसित करना और बढ़ावा देना है, जो देश के संवेदनशील क्षेत्रों की समस्या को दूर करती हैं और इस परियोजना के परिणामस्वरूप सूखा, बाढ़, पाला, लू आदि जैसी एक्सट्रीम मौसमी स्थितियों से ग्रस्त जिलों और क्षेत्रों को ऐसी एक्सट्रीम स्थितियों से निपटने में मदद करते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए, आईसीएआर के तत्वावधान में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली ने पिछले 10 वर्षों (2014-2024) के दौरान कुल 2900 किस्में जारी की हैं। जिनमें से 2661 किस्में एक या अधिक जैविक और/या अजैविक दबावों के प्रति सहनशील हैं। जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों जैसे चावल गहनीकरण प्रणाली, एरोबिक चावल, चावल की सीधी बुआई, गेहूं की जीरो टिल बुवाई, सूखा और गर्मी जैसी एक्सट्रीम मौसमी स्थितियों के प्रति सहनशील जलवायु अनुकूल किस्मों की खेती, चावल के अवशेषों का यथास्थान समावेशन आदि का विकास और प्रदर्शन किया गया है।

*****